

15 $\frac{3}{24}$

वकील जार्जी उपस्थित / पत्रावली का अवलोकन
किया गया वस्तु अवलोकन जाहिर आया
कि यह मुन्तकिली शा. पत्र पीठासीन अधिकारी
श्री लालित भीणा उपखण्डाधिकारी वर के
विरुद्ध पेश किया गया था / चूंकि श्री
लालित भीणा का स्थानान्तरण / पदस्थापन
उपखण्डाधिकारी वर के पद से अन्यत्र हो
गया है इस कारण यह मुन्तकिली शा. पत्र
स्वतः ही उभावहीन हो जाता है।

अतः शा. पत्र उभावहीन होने के
कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फेलाल शुमार है बांद्र कार्यवाही
दोखिल देफतर है।

४

जिला कलक्टर
भरतपुर